

**UP Rural Engineering Service**  
(यू०पी० रूरल इन्जीनियरिंग सर्विस)

**Gazetted Engineers Benevolent Fund Society**

(गजेटेड इन्जीनियर्स बेनेवोलेंट (हितैशी) फंड सोसाइटी)

**Lucknow (लखनऊ)**

(सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम संख्या, 21 1860 के अधीन पंजीकृत-रजिस्ट्रेशन संख्या-1325-2010.2011)

Web site of UPRESGSBFS:-<http://upresgebfs.org/>

PAN:AAAAU3156E

# UP Rural Engineering Service (यू०पी० रूरल इन्जीनियरिंग सर्विस) Gazetted Engineers Benevolent Fund Society (गज.टेड इन्जीनियर्स बेनेवोलेंट फंड सोसाइटी, लखनऊ)

(सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम संख्या, 21 1860 के अधीन पंजीकृत-रजिस्ट्रेशन संख्या-1325-2010.2011)

गज.टेड इन्जीनियर्स बेनेवोलेंट फंड सोसाइटी, लखनऊ का सदस्यता लेने के लिये प्रत्येक सदस्य को रु०.2000/- जमा करना होगा  
मुख्य सहायता योजना की सदस्यता ग्रहण करना सभी सम्मानित सदस्यों के लिए अनिवार्य है।

## नामांकन पत्र

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु आजीवन सदस्यता संख्या .....	रसीद संख्या .....
	दिनांक .....
मुख्य/प्रमुख सहायता योजना संख्या .....	रसीद संख्या .....
	दिनांक .....

स्वयं का पासपोर्ट साइज. फोटोग्राफ	प्रथम उत्तराधिकारी का पासपोर्ट साइज. फोटोग्राफ	द्वितीय उत्तराधिकारी का पासपोर्ट साइज. फोटोग्राफ	तृतीय उत्तराधिकारी का पासपोर्ट साइज. फोटोग्राफ	चतुर्थ उत्तराधिकारी का पासपोर्ट साइज. फोटोग्राफ
--------------------------------------	---	---	---	--

- मैं (पूरा नाम) .....उ०प्र० ग्रामीण अभियंत्रण सेवा गज.टेड इन्जीनियर्स  
बेनेवोलेंट फंड सोसाइटी, लखनऊ का सदस्य बनना चाहता हूँ। मैंने सोसाइटी के नियम देख लिए हैं।
- (क) मैं सोसाइटी की मुख्य सहायता योजना संख्या ..... का सदस्य हूँ/किसी योजना का सदस्य नहीं हूँ।  
(ख) मैं सोसाइटी की मुख्य/प्रमुख सहायता योजना का सदस्य बनना चाहता/चाहती हूँ। अतः रु०. ....  
..... की धनराशि की चेक/बैंक ड्राफ्ट/सीधे बैंक में कैश डिपोजिट/नेट बैंक ट्रान्सफर/यू०पी०आई०  
संख्या ..... दिनांक..... बैंक का नाम ..... द्वारा  
जमा कर रहा/कर रही हूँ।
- नियम 9 के अन्तर्गत मैं अपने परिवार के निम्नलिखित सदस्यों की वरीयता के अनुसार अपना उत्तराधिकारी घोषित करता/करती  
हूँ।

क्रम सं०	सम्बन्धी का नाम	सम्बन्ध	आयु
1			
2			
3			
4			
5			

## 4. स्वयं का विवरण

(क) पूरा नाम .....

(ख) पिता का नाम श्री.....

(ग) जन्म तिथि (अंकों में).....(शब्दों में).....

(घ) वर्तमान पद ..... (ङ.) कार्यालय .....

(च) स्थायी डाक पता .....

(छ) मोबाइल नम्बर ..... (ज) फोन नम्बर .....

5. बैंक खाता सं०. .... बैंक का नाम, आई.एफ.सी.कोड सहित बैंक  
ब्रान्च का पता .....

मैं सोसाइटी की कार्यकारिणी द्वारा समय-समय पर पारित प्रस्तावों को मानने के लिये बाध्य  
रहूँगा/रहूँगी।

*जो लागू न हो उसे काट दें।*

(हस्ताक्षर)

**उ०प्र० ग्रामीण अभियंत्रण सेवा गजेटेड इन्जीनियर्स बनेवोलेन्ट फंड सोसाइटी,**

**(UP Rural Engineering Service Gazetted Engineers Benevolent Fund Society-**

**UPRESGEBFS) लखनऊ के प्रमुख रूपक**

(सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम संख्या, 21 1860 के अधीन पंजीकृत-रजिस्ट्रेशन संख्या-1325-2010.2011)

संस्था का उद्देश्य सदस्यों के परिवारजनों को सेवा काल में सदस्य की मृत्यु या स्थाई रूप से अक्षमता की स्थिति में सुगम वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा सदस्य या सदस्य के स्पाउस अथवा सदस्य के बच्चों की गंभीर बीमारी के इलाज हेतु न्यूनतम ब्याज दर पर लोन (कर्ज) उपलब्ध कराना है। सोसाइटी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सन् 1982-83 से प्रयासरत है।

### सहायता योजना:-

वर्तमान में सोसाइटी के अन्तर्गत दो सहायता योजना है।

मुख्य सहायता योजना की सदस्यता राशि रू० 50000/- है।

प्रमुख सहायता योजना की सदस्यता राशि रू० 125000/- है।

#### 1. मुख्य सहायता योजना

इस योजना की सदस्यता राशि एक मुश्त रू०. 50,000/- है तथा सहायता राशि रू०. 5,00,000/- है। किसी अनहोनी की सूचना प्राप्त होते ही प्रथम किस्त रू०. 2,50,000/- तथा मृत्यु/स्थाई अपंगता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर अन्तिम किस्त रू. 2,50,000/- देय है।

## 2. प्रमुख सहायता योजना

इस योजना की सदस्यता राशि एक मुश्त रु. 1,25,000/- है तथा सहायता राशि रु. 17,50,000/- है। किसी अनहोनी की सूचना प्राप्त होते ही प्रथम किस्त रु. 5,00,000/- तथा मृत्यु/स्थाई अपंगता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर अन्तिम किस्त रु. 12,50,000/- देय है।

उपरोक्त सदस्यता राशि सोसाइटी के पास कम से कम सेवा निवृत्ति अवधी तक जमा रहेगी तथा सेवा निवृत्ति के पश्चात् जमा सदस्यता राशि सोसाइटी के पक्ष में दान स्वरूप मान ली जायेगी।

### सहायता राशि भुगतान –

1. सेवा काल में किसी सदस्य की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाने अथवा स्थाई रूप से अक्षम हो जाने पर सहायता राशि का भुगतान उपरोक्तानुसार किया जायेगा।
2. किसी सदस्य या सदस्य के स्पाउस अथवा सदस्य के बच्चों की गंभीर बिमारी के इलाज हेतु सदस्य के अनुरोध पर कार्यकारणी के निर्णय अनुसार न्यूनतम ब्याज दर पर सदस्यता योजना के अनुरूप लोन (कर्ज) देने की भी व्यवस्था निर्धारित है, जिसे सदस्य द्वारा तीन सामान्य किस्तों में वापस करना अनिवार्य है।
3. सहायता योजना के अन्तर्गत सहायता राशि नामांकित उत्तराधिकारी को दो किस्तों में देय होगा, जिसमें प्रथम किस्त निधन अथवा दुर्घटना के समाचार मिलने पर यथाशिघ्र व द्वितीय किस्त मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा बिकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद एक माह के अन्दर देय होगी।

उपर्युक्त सभी भुगतान (A/c Payee) चेक या ड्राफ्ट द्वारा ही किये जायेंगे।

### सदस्यता प्राप्त करने की विधि:-

1. सदस्यता ग्रहण करने के लिये इच्छुक अभियन्ता अधिकारी उपरोक्त नामांकन पत्र सदस्यता शुल्क मु0 2000.00 रूपया तथा सहायता योजना की एक मुश्त राशि रु0 50000.00 अथवा 125000.00 **यू0पी0 रूरल इन्जीनियरिंग सर्विस गज.टेड इन्जीनियर्स बेनेवोलेन्ट फंड सोसाइटी, (UP Rural Engineering Service Gazetted Engineers Benevolent Fund Society-UPRESGEBFS) SB A/c No.10616664787 of SBI Jawahar Bhavan Branch Lucknow-IFS Code SBIN0006144** के नाम चेक/बैंक ड्राफ्ट/सीधे बैंक डिपोजिट/नेट बैंक ट्रान्सफर कर बैंक में जमा करने की रसीद सहित मानद सचिव या मानद कोषाध्यक्ष, उ0प्र0 ग्रामीण अभियंत्रण सेवा गजेटेड इन्जीनियर्स बेनेवोलेन्ट फंड सोसाइटी, या स्टेनो श्री संजय आर्या, मुख्य अभियन्ता(पूर्वी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कार्यालय, सर्वोदय नगर, इन्द्रिनगर, लखनऊ को भेजें।
2. चेक/ड्राफ्ट स्थानीय बैंक में बैंक रियलाइजेशन के बाद ही मान्य होंगे।
3. कृपया यथासम्भव भुगतान क्रास चेक या ड्राफ्ट या नेट बैंक ट्रान्सफर द्वारा करने का कष्ट करें।
4. सदस्यता हेतु सोसाइटी को धन प्राप्त हो जाने के बाद सहायता योजना की सदस्यता मानी जायेगी।
5. समस्त पत्राचार सोसाइटी के मानद अध्यक्ष, मानद सचिव या मानद कोषाध्यक्ष से करें।

## सम्पर्क सूत्र

1. श्री जितेन्द्र सिंह परमार – मुख्य प्रावधिक परीक्षक ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग – अध्यक्ष +918005493805
2. श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, – अधीक्षण अभियन्ता, ग्रा0अभि0वि0 – सचिव – +917830449133
3. कुमारी नुजहत परवीन – अधिशासी अभियन्ता, ग्रा0अभि0वि0 – कोषाध्यक्ष +918587857795
4. श्री संजय आर्या, स्टेनो, मुख्य अभियन्ता(पूर्वी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कार्यालय, सर्वोदय नगर, इन्द्रिनगर, लखनऊ को भेजें। फोन नम्बर +917007784676, +919795753031